RAJYA SABHA

Monday the 11th March, 1996/21st Phalguna, 1917 (Saka)

The House Met at Eleven of the Clock, **Mr. Chairman** *In the Chair*

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Decline in Sugar Production

*141. SHRI SUSHIL KUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:†
SHRIMATI VEENA VERMA:

Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether it is a fact that despite good prospects of sugarcane yield, sugar production during the first three months of the current year 1995-96 has been comparatively less that that during the corresponding period of last year (1994-95)

(b) if so, what are the comparative figures of sugar production; and

(c) the reasons for the deceleration in sugar production and how far the credit crunch especially in respect of sugar cooperatives and other sugar manufacturers is responsible therefor?

THE MINISTER OF FOOD (SHRI AJIT SINGH: (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) The production of sugar upto 31st December, 1995 during the season 1995-96 was 37.27 lakh tonnes as against 41.16 lakh tonnes on the corresponding period during 1994-95 season.

(c) Initially, the production of sugar has been lower than last year. It has picked up during the peak crushing season (commencing from January) and the gap is now steadily narrowing.

श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे: सभापति जी, (ए) और (बी) में कहा गया है कि 37.27 लाख मीटरी टन का प्रोडक्शन हो गया है और पिछले साल 41.16 लाख मीटरी टन प्रोडक्शन हो गया है, लेकिन देश में जब गए साल 1994-95 में 41.16 लाख मीटरी टन का प्रोडक्शन हो गया, उस वक्त किसानों का पैसा बिना तकरार के हर स्टेट ने दे दिया, उसमें कोई दिक्कत गए साल में नहीं रही तो मैं स्पेसिफिक मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इस साल प्रोडक्शन कम होने के बाद भी कई राज्य किसानों का पैसा नहीं दे रहे हैं। मैं विशेषतः महाराष्ट्र के बारे में पूछना चाहूंगा कि पिछले साल इतना ज्यादा प्रोडक्शन होने के बाद, महाराष्ट्र में भी बहुत अधिक प्रोडक्शन हुआ था, तब भी कोई दिक्कत नहीं आई थी। लेकिन इस साल प्रोडक्शन कम होने के बावजूद भी किसानों को पैसा नहीं मिल रहा है। किसान अपना गन्ना खेतों में जलाकर छोड़ रहे हैं क्योंकि सरकार कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है और कह रही है कि भारत सरकार पैसा नहीं दे रही है, प्रधानमंत्री पैसा नहीं दे रहे हैं। इसमें असली क्या है? क्या महाराष्ट्र सरकार अपनी जो जिम्मेदारी है वह पूर्ण नहीं कर रही है या भारत सरकार अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रही है? मंत्री महोदय इसका जवाब दें।

श्री अजित सिंह: यह सही है कि इस साल शुगर का प्रोडक्शन पिछले साल के मुकाबले कुछ कम दिसम्बर तक था। लेकिन जनवरी में इस साल शुगर प्रोडक्शन लास्ट इयर के मुकाबले में ज्यादा हुआ है। तो शुगर का प्रोडक्शन धीमे-धीमे-बढ़ रहा है। जहां तक पेमेंट आफ एरियर्स का सवाल है, जो मेरे पास फिगर्स हैं 31 जनवरी तक की , तो इस साल एरियर करीब 25 प्रतिशत हैं। 1991-92 में इसी तारीख में यह 27 प्रतिशत था, 1992-93 में 31 प्रतिशत था। यह सही है कि 1994-95 में करीब 15 प्रतिशत था। लेकिन इस साल, अगर आप पिछले चार-पांच सालों का देखें तो कोई अनयूजल सिचुयेशन नहीं है, साल के आखिर तक, शुगर सीजन के आखिर तक लास्ट इयर एरियर 1.5 परसेंट ही बचा था। जहां तक फारमर्स के पेमेंट का सवाल है, केन्द्रीय सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं है। यह तो प्रदेश सरकार को देखना है कि वहां फारमर्स को पेमेंट मिले। यह सही है कि शुगर का प्रोडक्शन लास्ट इयर ज्यादा हुआ था। इसलिए सरकार ने उसके लिए कई कदम उठाये हैं। इस साल 5 लाख टन बफर स्टाक सरकार ने बनाया है। जब कि 5 लाख टन शुगर के फाइनेंस चार्जेज, कैरेज कास्ट, स्टोरेज कास्ट वुड बी पेड फ्राम दि शुगर डेवलपमेंट फंड। साथ ही 6.50 लाख

टन की एक्सपोर्ट परमीशन हम शुगर मिलों को दे चुके हैं। सरकार की तरफ से पूरी कोशिश है कि एक्सेसिव प्रोडक्शन आफ शुगर जो है उसको किस तरह से खपाया जाए। हम लोग इसका निर्यात भी कर रहे हैं , बफर स्टाक भी बना रहे हैं, लेवी शुगर भी बढ़ा दी गई है, फ्री सेल शुगर का कोटा ज्यादा दे रहे हैं। लेकिन अगर कोई प्रदेश सरकार कहती है कि केन्द्र सरकार पैसा नहीं दे रही है या किसी प्रदेश की स्थिति ठीक नहीं है और उसको पैसा नहीं दिया जा रहा है, यह गलत बात है। यह प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि वह वहां किसानों को उनके गन्ने का पैसा दे।

श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे: इसका मतलब यह है कि यह काम स्टेट में जो सरकार है उसको करना होता है और किसानों का पैसा देना होता है। लेकिन जब यह दिक्कतें होती हैं, उस वक्त यह जो बफर स्टाक आप बनाते हैं उसके अंगेस्ट पैसा देने का कार्य होता है। हमारी इन्फर्मेशन है कि भारत सरकार ने विशेषरूप से किसानों को बचाने कुछ जरूरी निर्णय लिए हैं। तो क्या भारत सरकार ने ऐसा कोई वायदा महाराष्ट्र सरकार को किया है, विशेषत: किसानों को सुविधाएं देने के बारे में किया है, या कुछ पैसा देने का आपने निर्णय लिया है?

श्री अजित सिंह: सभापति जी, महाराष्ट्र में ज्यादातर शुगर मिलें कोआपरेटिव्स की हैं और कोआपरेटिव बैंक उनको पैसा देते हैं। तो क्रेडिट क्रंच की वजह से केन्द्रीय सरकार ने "नाबाड" को कहा था कि वह 200 करोड़ रुपया महाराष्ट्र कोआपरेटिव्स बैंक को दे। जो नाबाड ने दिए। असल और सही बात यह है कि महाराष्ट्र कोआपरेटिव बैंक ने पिछले हफ्ते वह 200 करोड़ रुपये लौटा दिए हैं। उनके पास काफी पैसा है और उनकी स्थिति में इम्प्रूवमेंट हो गया है। इसलिए नाबाड को उन्होंने 200 करोड़ रुपये वापस कर दिए हैं। इसलिए अगर वहां की सरकार कहती है कि उनके पास पैसा कम है, क्रेडिट क्रंच है, जिसकी वजह से किसानों को पैसा नहीं मिल रहा है तो मैं कहूंगा कि उनको यह फिर से देखना चाहिए। यह जिम्मेदारी उनकी है कि किसानों का पैसा मिलता रहे।

SHRIMATI VEENA VERMA: Sir, may I know whether, with the liberalisation of economy, any review of the Sugar Licensing and Incentive Policy has been undertaken; if so, what specific modifications have been made or are proposed to be made in the Sugar Policy? I would also like to know whether, in order to provide incentives to both the industry and the cane-growers, the Government have decided or are considering not only to undertake export of sugar but also to create and raise a buffer stock; if so, how much sugar is proposed to be exported and buffer stock is to be built up this year.

श्री अजित सिंह: हालांकि इस सवाल से लाइसेंसिंग का कोई मतलब नहीं है, लेकिन सरकार हमेशा पॉलिसी रिव्यू करती रहती है जिससे शुगर-इंडस्ट्री और फारमर दोनों का फायदा हो, लकिन अभी लाइसेंसिंग पॉलिसी शुगर-इंडस्ट्री में जारी है। जहां तक एक्सपोर्ट का सवाल है, सरकार ने करीब साढ़े छः लाख टन चीनी उसके लिए रिलीज की है। यदि और शुगर एक्सपोर्ट की जा सकती है तो हम इन्क्रेज कर रहे हैं इंडस्ट्री को, ताकि और शुगर का एक्सपोर्ट कर सकें। यह प्रोडक्शन पिछले साल भी काफी था और इस साल भी काफी है। सरकार ने बफर-स्टॉक पांच लाख टन तय किया है। जैसा मैंने अभी बतलाया कि एस० डी० एफ० की तरफ से कैरिंग कॉस्ट सौ करोड़ रुपए है, इस साल वह कॉस्ट शुगर मिल को दी जायेगी।

केन ग्रोवर्स के लिए एक तो स्टेट एडवाइज्ड-प्राइज है। स्टेट हर साल प्राइज तय करती है कि शुगर डेवलपमेंट फंड की तरफ से केन फारमर्स को इन्क्रेज करने के लिए दिया जाता है यही इंसेंटिव है।

श्री सोमपाल: सभापति महोदय, मंत्री जी के उत्तर में जबर्दस्त विरोधाभास है। एक ओर तो ये कह रहे हैं कि चीनी का उत्पादन अधिक हो गया है और हम खपत के लिए कुछ एवेन्यूज तलाश कर रहे हैं, ताकि ज्यादा खपत हो जाए और दूसरी तरफ ओ० जी० एल० में शुगर का ज्यादा आयात किया जा रहा है। इन दोनों में तालमेल नहीं बैठता है। एक तरफ अधिक उत्पादन की शिकायत कर रहे हैं। अभी अपने कांस्टीट्यूएंसी छपरोली में गये थे। वहां पर भी इन्होंने अपने भाषण में कहा कि किसानों ने ज्यादा गन्ना बो दिया। या तो आप कोई ऐसी मशीनरी या और कोई सिस्टम इजाद करिये कि किसान इससे ज्यादा गन्ना नहीं बोएगा, यह तो आपके पास कुछ है नहीं। हर तीन-चार साल में हर बार किसान की यह दुर्गति होती है और बार-बार यह सवाल उठता है। ...**(व्यवधान)** चूंकि यह मेरी अपनी कांस्टीट्यूएंसी है तो मजबूरी है, सुनना पड़ता है। ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय, यह मजाक में टालने का सवाल नहीं है। ...**(व्यवधान)** क्योंकि कठिनाई इसमें यह है महोदय, कि करीब 65 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में ऐसा गन्ना

है जो मिलों के ऊपर नहीं जाता केवल 35 प्रतिशत ही जाता है। जो 65 प्रतिशत है उसका भाव खुले बाजार में 35 रुपए मिल रहा है और जो मिल में जा रहा है उसका 70-72 रुपए मिल रहा है जबकि कास्ट आफ प्रोडेक्शन दोनों प्रकार से किसानों की उसी तरह की है। को सवाल बार-बार उठते है, एक तो यह कि चीनी के लाइसेंस को मुक्त क्यों नहीं किया जाता जबकि उदारीकरण की नीति के तहत सारे उद्योगों को इन्होंने मुक्त कर दिया इवन विलासिता के उद्योगों को भी मुक्त कर दिया।

श्री वीरेन जे० शाह: प्रधान मंत्री जी ने जो कहा था, हम उस पर विचार करे...**(व्यवधान)**

श्री सोमपाल: और घोषणा की थी प्रधान मंी जी ने यहां ...**(व्यवधान)**

श्री वीरेन जे० शाह: ...**(व्यवधान)** आठ महीने पहले ...**(व्यवधान)**

श्री रामदास अग्रवाल: प्रधान मंत्री का वादा था इस बात का ...**(व्यवधान)**

श्री सोमपाल: छोटे पैमाने का और जिसमें ज्यादा ग्रमीण रोजगार है, खांडसारी उद्योग, उसमें वैक्य मैम-टेक्नोलाजी एलाउ क्यों नहीं करते? यह पक्षपात मिल वालों के साथ क्यों किया जा रहा है। एक तो मेरा क्वेश्चन यह है "ए"। दिस इज ए पार्ट आफ माई क्वेश्चन। नं० टू"बी" क्या यह सही है कि आप ने बहुत सी मिलों को लाइसेंस जारी किए है पिछले 6 सालों में, 5 सालों में, 4 सालों में, लेकिन उन्होंने अपनी मिलें स्थापित नहीं की है? अपनी मांग के बावजूद मैं पत्र लिख चुका हूं, संसद में कह चुका हूं कि उनके लाइसेंस निरस्त करके जो दूसरे लोग पंक्ति में बैठे हैं लाइन लगाए, उनको लाइसेंस दे दीजिए। जिसमें एक मलिकपुर की चीनी मिल जो कि माननीय मंत्री जी ने अपने चुनाव क्षेत्र में है 6 वर्ष से उसने नहीं लगायी। उसका लाइसेंस बार-बार नवीकृत किया जाता है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय मतदाता है **...(व्यवधान)**

श्री सोमपाल: मतदाता है, वह जो स्वर्गीय चौधरी साहब की कृपा है इसलिए चल रहा है भाई जी का काम **...(व्यवधान)**

श्री अजीत जोगी: आपका भी उनके कारण चल रहा है, उनके कारण ही चल रहा है **...(व्यवधान)**

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे: जोगी जी आपका भी वही हाल है **...(व्यवधान)**

MR. CHAIRMAN: Please conclude. ... *(Interruptions)*

SHRI SOM PAL: They are creating a confusion for dovious reasons. ...*(Interruptions)*

श्री सोमपाल: तीसरा यह कि एरियर का सवाल बार-बार आता है। एक केन्द्रीय कानून बना हुआ है कि जितने एरियर हैं, उनके ऊपर, अगर ब्याज भी नहीं देते मिल-मालिक, तो उनके ऊपर पीनल एक्शन होगा। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या एरियर्स के ऊपर कोई ब्याज दिया गया? अगर नहीं दिया गया तो यह पीनल एक्शन किसके खिलाफ किया? और अगर नहीं किया तो क्यों? ये तीन बातें हैं। इन तीनों बातों का स्पष्ट उत्तर मैं आपसे चाहता हूं।

श्री अजित सिंह: माननीय सभापति जी, ये पूरी शुगर इंडस्ट्री के बारे में बहस चाहते हैं।

श्री सोमपाल: जी नहीं, मैंने स्पेसिफिक मांगे हैं।

श्री अजित सिंह: मैं आपसे ही बात कर रहा हूं। लाइसेंस पालिसी, डी-लाइसेंस पालिसी, खांडसारी के बारे में क्या होना चाहिए, उसको लाइसेंस मिलना चाहिए कि नहीं, छपरोली क्षेत्र में क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी भी चिंता इनको है—मैं कुछ जवाब दे रहा हूं लेकिन पूरी शुगर इंडस्ट्री पर मैं कहूंगा कि अगर माननीय सदस्य आना चाहें तो मैं उनको समझाने की कोशिश करूंगा **...(व्यवधान)**

श्री सोमपाल: ये संसद के अलावा कहां बताएगें **...(व्यवधान)** यहां क्यों नहीं जवाब देते हैं आप यह संसद है उसमें मैं सार्वजनिक रूप से आपसे पूछ रहा हूं **...(व्यवधान)**

श्री अजित सिंह: मैं जवाब दे रहा हूं **...(व्यवधान)** हैरान न होइए। आप सब कुछ कह सकते हैं, जब आप सब तरह की बात कह सकते हैं तो सुनना भी चाहिए आपको।

श्री सोमपाल: तो कहिए।

श्री अजित सिंह: मैं यही कह रहा हूं कि आपने छपरोली की बात उठाई, कहिए तो उसका भी जवाब दे दूंगा। चौधरी साहब की बात उठाई, उसका भी दे दूंगा और इनका उसमें क्या रोल रहा है वह भी बता दूंगा **...(व्यवधान)....** इसलिए यहां पर राजनीति न करके जो सवाल है उसके बारे में पूछें। उसके बावजूद जो आपने वह भी सवाल पूछे हैं, वह भी जवाब दूंगा। छपरोली की राजनीति या चौधरी साहब के बारे में आप जो भक्ति भाव दिखाने की कोशिश कर रहे है उसका भी

जवाब मैं दे सकता हूं ...(**व्यवधान**) क्योंकि इनका इतिहास इस बारे में यहां सबको मालूम है।

श्री सोमपाल: मैं तो आमंत्रित करता हूं आपको मंत्री जी कि जवाब दीजिए। स्वागत है आपका।

श्री अजित सिंह: इनका पहला सवाल लाइसेंसिंग और डी-लाइसेंसिंग के बारे में है। सरकार ने उस पर विचार किया है। अगर आप कहें तो लाइसेंसिंग के बारे में क्या विचार हो रहा है उसके बारे में जवाब देना चाहूंगा। हालांकि उसका इस सवाल से कोई जवाब नहीं है। मैं आपकी अनुमति चाहूंगा अगर आप कहेंगे तो जवाब दूंगा लाइसेंसिंग पालिसी के बारे में।

MR. CHAIRMAN: All right. Have you finished?

SHRI AJIT SINGH: Sir, I have not yet finished. पहले इन्होंने कहा कि आप आयात भी कर रहे हैं और निर्यात भी ...(**व्यवधान**)

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: You cannot deny him an answer.

SHRI AJIT SINGH: I am not denying ...*(Interruptions)*....

MR. CHAIRMAN: Please allow the Minister to reply. Let the Minister reply ...*(Interruptions)*....

SHRI AJIT P.K. JOGI: The Minister wants to reply. ...*(Interruptions)* The Minister is going to reply.

MR. CHAIRMAN: You also allow the Minister to reply. ...*(Interruptions)* Please, let him speak.

श्री अजित सिंह: मैं सोच रहा था कि माननीय सदस्य आकर बात कर ले तो इतना इम्बारासमेंट इनको न होता। लेकिन मैं जवाब दे रहा हूं अभी। पहले इनका सवाल है कि चीनी आयात क्यों की जा रही है जब निर्यात कर रहे हैं। पिछले साल चीनी की कमी थी इसलिए आयात किया गया और 1994 के दिसम्बर में क्योंकि उस समय नहीं मालूम था कि पिछले साल कितनी चीनी पैदा होगी, उसका आयात करने का निर्णय लिया गया था—पांच लाख टन का लिया गया था बाद में वह चार लाख टन किया गया। उसमें से भी सिर्फ दो लाख टन निर्यात हुई है क्योंकि शिप्स आ चुके थे। बाकी जब पता लगा कि पिछले साल शुगर इतनी पैदा होगी तो आयात के कन्ट्रेक्ट्स कैन्सिल कर दिए गए और सिर्फ दो लाख टन चीनी आयात हुई। इसलिए कोई विरोधाभास उसमें नहीं है। जिस समय वह निर्णय लिया गया था फिर जब हमको पता लगा कि इस साल इतनी चीनी पैदा होगी तो हमने बाहरी हाई सीज में जो शिप्स थे उस चीनी को भी बेचने की कोशिश की और उसमें से आधी हम बेच सके तो कोई विरोधाभास नहीं था। जब चीनी का हमको पता चला कि इतनी पैदा होगी तो हमने फिर कदम उठाए कि जो आयात कर रहे है चीनी उसको बेच दिया जाए।

दूसरा, ये बार बार सवाल उठाते है कि खांडसारी में आप क्यों नहीं एलाउ करते हैं वैक्यूम पैन। वैक्यूम पैन टेक्नालाजी मीन्स शुगर मिल। आप छोटे छोटे उद्योगों के खिलाफ लगते है मुझको। जहां आपने उसमें खत्म कर दिया खांडसारी को, वैक्यूम पैन लगा दिया फिर खांडसारी उद्योग तो खत्म हो गया...(**व्यवधान**)

श्री सोमपाल: यही तो आरोप है हमारा। इस उद्योग को पनपने नहीं देते हैं। यही तो आरोप है हमारा...(**व्यवधान**)

श्री अजीत सिंह: खांडसारी मिल में अगर आप कह रहे हैं वैक्यूम पैन लगा दिया जाए तो फिर वह चीनी मिल हो गयी। फिर 40 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया। फिर बड़े बड़े आदमी ही उसको लगा सकते हैं। फिर कोई खांडसारी चीनी नाम की चीज नहीं रही। लेकिन हर बार चीनी मिल के पूंजीपतियों के लिए इनको, इस उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दीजिए...(**व्यवधान**) कौन उद्योगपतियों की मदद कर रहा है? हम कर रहे हैं क्या?

श्री सोमपाल: जी हां, आप कर रहे हैं ...(**व्यवधान**)

Mr. CHAIRMAN: Mr. Som Pal, this is not a debate; this is a quesiton-answer session.

श्री अजीत सिंह: जहां तक लाइसेंसिंग और डीलाइसेंसिंग की बात है इसमें तीनों का—चीनी मिल का, जो चीनी खाते हैं उपभोक्ता और जो फारमर्स शुगर केन पैदा करते हैं...। तीनों को ध्यान में रखना है। आप सब को मालूम है कि चीनी की प्राइस कंट्रोल्ड है। पी०डी०एस० में चीनी दी जा रही है। अब क्या माननीय सदस्य चाहते हैं कि पी०डी०एस० में चीनी देना बंद कर दी जाए?

श्री सोमपाल: उसमें भी किसानों को कम दे रहें हैं ....(**व्यवधान**)..

श्री अजीत सिंह: बार बार बोलना है तो आप बाहर आकर बात करिए। मैं चैयरमेन साहब को कह रहा हूं। आप ही एक आदमी नहीं हैं जिन को सुगर के बारे में मालूम है।

MR. CHAIRMAN: Please conclude quickly so that I can go to some other Member.

श्री अजित सिंह: दूसरी बात यह है कि फार्मर को सुगर केन की ज्यादा प्राइस मिले, वह स्टेट एडवाइज्ड प्राइसेस है, इसलिए कंट्रोल्ड है, अब क्या माननीय सदस्य चाहते हैं कि उस प्राइस को डि-कंट्रोल्ड कर दिया जाए और यह सुगर मिल तय करे कि फार्मर को सुगर कितनी दी जाए? क्या सुगर फार्मर का इंटरेस्ट उस में सुरक्षित रह पाएगा?

एक माननीय सदस्य: नहीं।

श्री अजित सिंह: तो उपभोक्ता का इंटरेस्ट है कि पी०डी०एस० में चीनी मिले, सुगर फार्मर का इंटरेस्ट है कि सुगर केन की उस को फिल्ड प्राइस मिले। इस तरह इस में बहुत से अहम सवाल है जिन पर सरकार ने विचार किया है और हम लोगों ने तय किया है कि अभी जो पालिसी है, उस को हम जारी रख रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: It has prolonged a lot, other Members should get a chance.

डा० मुरली मनोहर जोशी: सभापति जी, मंत्री महोदय ने गन्ना उत्पादक के लिए बहुत प्रेम प्रदर्शित किया है और गन्ना उत्पादक के बारे में उन्होंने बडी चिंता जाहिर की है, लेकिन यह जानते हुए कि गन्ना उद्योग भारत के कई प्रांतों का प्रमुख उद्योग है और विश्व में गन्ना उत्पादकों में भारत की गणना सर्व प्रमुख देशों में होती है क्या वह इस बात का हमें पूरे तौर से एश्योरेंस देंगे कि जितना गन्ना पैदा होता है, वह पेरा जाएगा और गन्ने से न केवल चीनी बल्कि पावर अल्कोहल बनायी जाएगी जिससे कि इस देश में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर हमारी निर्भरता कम हो, हमारा फारेन एक्सचेंज बचे और गन्ना उत्पादक का पूरा गन्ना उपयोग में आए क्या सरकार इस बारे में कोई विचार कर रही है जिससे कि खेतों में खड़ा हुआ गन्ना बेकार न जाने पाए? सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन है और वहां के गन्ना किसानों की हालत सब से ज्यादा खराब है। विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान कीमत के तौर पर, एरियर के तौर पर और इस नीति के कारण जोकि आपने अभी तक चलायी है, बेहद परेशान हैं जबकि वहां राष्ट्रपति शासन है और प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए आप क्या कर रहे हैं और पावर अल्कोहल के बारे में आपकी क्या नीति है, यह हमें बताएं? सभापति महोदय यह कहना कि अगर "वैक्यूम पैन" बन गया तो वह केवल बड़े उद्योग के लिए हो गया, दुरुस्त नहीं है। इस पर आप सदन में या सदन के बाहर कहीं भी बहस कर लें। यह बड़ा उद्योग नहीं होता है कि आप वैक्यूम पैन लगा देंगे तो वह सारा नष्ट हो जाएगा। तीसरी बात यह है कि गन्ने के दाम और गुड़ के दाम उत्तर प्रदेश में घटते चले जा रहे हैं, उस से भी गन्ना उत्पादक को बड़ा कष्ट हो रहा है। तो सरकार इस बारे में जबकि विशेषकर उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी आप के ऊपर है, क्या निर्णय लेने जा रही है?

श्री अजीत सिंह: सभापति जी, जहां तक गन्ना मिल कब तक चलेगी, यह तो स्टेट गवर्नमेंट्स पहले भी तय करती रही है और मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में गन्ना मिल तब तक चलती रहेंगी जब तक कि किसान का गन्ना खेत में रहेगा, चाहे मई आ जाय या जून आ जाय। तमिलनाडु की सरकार ने भी मैंने पिछले दिनों पढ़ा था कि यही निर्णय लिया है। तो यह स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथ में है और उत्तर प्रदेश के बारे में यह जरूर होगा। दूसरे सुगर मिल की जो बाय-प्रोडक्ट्स है, उन को हम एनकरेज कर रहे हैं। उस से को-जनरेशन भी होता है, बगाज से पेपर बनता है। उसे पेट्रोलियम में मिक्स करने के बारे में पेट्रोलियम सेक्रेटरी ने इस बारे में एक इंस्टीट्यूट है जिस के पास एक्जामिन करने के लिए भेजा है कि यह अल्कोहल/इथनॉल पेट्रोलियम में मिक्स करने में क्या इकॉनोमी है? क्या वह यहां की सिचुएशन में चल सकता है या नहीं चल सकता है? उस बारे में भी सरकार विचार कर रही है।

डा० मुरली मनोहर जोशी: सभापति जी, ब्राजील में उस से व्हीकल्स चलती है। इथनॉल से बहुत सारे स्कूटर्स और छोटी कारें बड़ी आसानी से चल सकती हैं। फिर आप तो स्वयं इंजीनियर हैं। इस बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए।

श्री अजीत सिंह: वही ध्यान में रखते हुए पेट्रोलियम मिनिस्ट्री इसे एक्जामिन कर रही है।

डा० मुरली मनोहर जोशी: इसे एक्जामिन करने में कितना समय लगेगा क्योंकि गन्ना उत्पादक के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मैंने कई महीने पहले आप का एक बयान पढ़ा था कि इस दिशा में आप कुछ कदम उठाना चाहते हैं।

श्री अजीत सिंह: इस दिशा में हम पूरे कदम उठा रहे हैं।

डा० मुरली मनोहर जोशी: आप को इसे एक्जामिन करने में कितना समय लगेगा?

श्री अजीत सिंह: अभी तो कुछ ही महीने की बात आप ने कही है।

डा० मुरली मनोहर जोशी: फिर तो बहुत कठिन है क्योंकि गत्रा तो खेत में दो ही महीने के लिए खड़ा है।

श्री अजीत सिंह: आप सही कह रहे हैं। इसके बारे में सरकार चाहती है कि बाय-प्रोडक्ट्स और दूसरे आल्टरनेटिव यूजेज हो सकें। इस बारे में सरकार प्रयत्नशील है। जहां तक गुड़ के बारे में सवाल है जितनी भी खंडसारी की स्टाक लिमिट वगैरा थी, वह सरकार ने दोगुनी से ज्यादा कर दी है। गुड़ के ऊपर से सब नियंत्रण हटा दिए गए हैं। प्रदेश से बाहर भेजने के लिए, एक्सपोर्ट के लिए गुड़ पर जो नियंत्रण थे, वह सरकार ने खत्म कर दिए हैं। लेकिन गुड़ के जो दाम हैं वह सरकारी नियंत्रित चीजों के दामों में नहीं आते कि इसके दाम सरकार तय कर सके। लेकिन जितनी मदद हम खंडसारी और गुड़ व्यापार और प्रोडक्शन को कर सकते हैं। वह हम कर रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: We have taken nearly half an hour.

Supply of Sub-Standard Goods to Russia

*142 SHRI O.P. KOHLI: Will the Minister of COMMERCE be pleased to refer to the answer to Unstrarred Question 50 given in the Rajya Sabha on 27th November, 1995 and state:

(a) the number of exporters booked for exporting sub-standard good to Russia in the last one year giving the details of such exporters and the items exported by them;

(b) the details of the exporters exporting leather goods to Russia; and

(c) the number of complaints received against them for supplying sub-standard leather goods giving the details thereof and the action taken thereon;

THE MINISTRY OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

During the year 1995, panal action has been taken by the Director General of Foreign Trade against the following exporters for exporting sub-standard tea to Russia:

(a) M/s. Amusar Impex Pvt. Ltd., Calcutta

(b) M/s. India Tea Produce Co., Calcutta.

In addition, action has been initiated by the DGFT in 1995 against one firm, namely, M/s. Shanta Projects Pvt. Ltd., Calcutta, for alleged export of sub-standard tea to Russa.

According to available information, 78 firms have exported leather goods to Russia during 1994-95. Out of these, 48 are Export Houses, 12 are Trading Houses, 3 are Star Trading Houses and 3 are Super Star Trading Houses. No complaint has been received so far in the Directorate General of Foreign Trade against any of the exporters for supplying sub-standard leather goods to Russia during the above mentioned period.

श्री ओ०पी० कोहली: महोदय, मेरा मंत्री जी से प्रश्न है भारतीय निर्यातक अपने सामान की आपूर्ति करते समय घटिया माल का निर्यात न करें और गुणवत्ता मानकों का कड़ाई से पालन करें यह सुनिश्चित करने की मौजूदा व्यवस्था क्या है? इस व्यवस्था में क्या कमजोरियां सामने आई हैं? इस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं?

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, as far as substandard goods are concerned, in the case of tobacco and tea, exports under the rupee payment account are subject to preshipment inspection. But, in all other cases, we leave it to the importer and the exporter to stipulate the standards. When a complaint is received there is a process for examining that complaint and taking suitable action. Apart from the Director-General of Foreign Trade, who looks into these complaints, the Customs authorities as well as the Directorate of Revenue Intelligence will also look into these complaints. Sir, we have Regional Sub-Committee at a